राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली, सोनीपत

प्लाट संख्या-97, सेक्टर-56, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, कुंडली-131008, जिला सोनीपत (हरियाणा)

दूरभाष: +91-130-2281057/60

नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सूचना

संदर्भ संo: एन./जी.ई.ए./जी.ए./2021/30/18 दिनांक: 11.08.2021

निफ्टेम के उद्यान विभाग के अधीन "जहां है जैसे है" के आधार पर उपलब्ध (१) शीशम आदि पेड़ों की टहनियाँ / शाखाएं (जलौनी लकड़ी), (२) तेज़ हवा / बरसात में गिरे पेड़ व (३) दीमक आदि से सूखे पेड़ों की नीलामी हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती हैं। जो भी इच्छुक बोलीदाता खुली बोली में भाग लेना चाहते है वे पूर्ण रूप से भरी गई निविदा प्रपत्र व अन्य संलग्नको के साथ संस्थान के हॉर्टिकल्चर विभाग में दिनांक 21.08.2021 को अपराहन 12:00 बजे तक जमा कर सकते है ।

खुली बोली की तिथि, समय व स्थान की घोषणा बोलीदाता को अलग से सूचित की जाएगी ।

निविदा प्रपत्र संस्थान की वैबसाइट www.niftem.ac.in/tender से डाउनलोड किया जा सकता है।

नियम व शर्तें:

1. सफल बोलीदाता को एक सप्ताह के अंदर रु० 25,000/- की धरोहार राशि ड्राफ्ट के माध्यम से निफ्टेम में जमा करानी होगी तभी माल उठाने की अनुमति दी जाएगी ।
2. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बोली लगाने से पहले उक्त लकड़ियों का भौतिक निरीक्षण कर ले । भौतिक निरीक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाता उद्यान विभाग कार्यालय मे संपर्क कर उक्त लकड़ियों का निरीक्षण कर सकते हैं ।
3. नीलामी सफल उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को प्रदान की जाएगी ।
4. सफल बोलीदाता को नीलामी की धनराशि संस्थान में ड्राफ्ट या किसी अन्य डिजिटल भुगतान (digital payment) के माध्यम से निविदा अवार्ड होने के 15 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है । अन्यथा की स्थिति में धरोहर की राशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।
5. यदि सामग्री का मूल्य प्रति किलो/ प्रति क्विंटल पर बोली प्रस्तुत की गई है तो सामग्री का तुलन निफ्टेम के कर्मचारी की उपस्थति में नजदीकी धर्मकांटा के आधार पर बोलीदाता के व्यय पर होगा तथा वजन व दर के अनुसार बोलीदाता को भुगतान एक सप्ताह में करना होगा ।
6. नीलामी की उक्त लकड़ियाँ, नीलामी धनराशि संस्थान में जमा करने के उपरांत ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी । नीलामी की धनराशि जमा करने के 10 दिनों में नीलाम की गई लकड़ियाँ ले जाना अनिवार्य है । अन्यथा की स्थिति मे संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
7. सफल उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की लकड़ियों को संस्थान से ले जाने / काटने इत्यादि सम्बंधित सभी खर्च स्वयं बोलीदाता को वहन करना होगा ।
8. संस्थान के पास पूर्ण अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी अथवा सभी निविदा व बोली को बिना कारण बताए स्वीकार करे अथवा न करे ।

कुलसचिव

NIFTEM